

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2010/वैशाख 14, 1932

No. 140]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2010/VAISAKHA 14, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दुरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010

(2010 का संख्यांक 02)

अधिसूचना

नुई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

सं. 5-4/2000-प्र.एवं का.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

- ।.(1) इन विनियमों को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (नौवां संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची । की टिप्पणी । में, "नेटवर्क (फिक्स्ड, मोबाइल और कनवर्ज्ड नेटवर्क, विनियामक प्रवर्तन और सेवा गुणवत्ता सिंहत)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "फिक्स्ड, मोबाइल और कनवर्ज्ड नेटवर्क" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

एम. एस. सीतारामन, सलाहकार (प्रशासन एवं कार्मिक)

[सं. विज्ञापन []]/4/142/10-असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम संख्या 5-4/2000 (प्र. एवं वि.), दिनांक 15 फरवरी, 2001 द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन किए गए :--

- (i) 1-6/2002-प्र. एवं वि., दिनांक 22 जनवरी, 2004
- (ii) 5-4/2000-प्र. एवं वि. (खंड-I), दिनांक 11 मई, 2004
- (iii) 5-4/2000-प्र. एवं वि. (खंड-II), दिनांक 17 जून, 2004
- (iv) 5-4/2000-प्र. एवं का. (खंड-II), दिनांक 10 मई, 2005
- (v) 5-4/2000-प्र. एवं का. (खंड-II), दिनांक 26 मई, 2006
- (vi) 5-4/2000-प्र. एवं का. (खंड-II), दिनांक 09 अक्तूबर, 2006
- (vii) 5-4/2000-प्र. एवं का. दिनांक 31 दिसम्बर, 2008
- (viii) 5-2/2005-प्र. एवं का. दिनांक 20 मार्च, 2009

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Ninth Amendment) Regulations, 2010 (No. 2 of 2010)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2010

- No. 5-4/2000-A&P.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 and sub-section (1) of Section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), namely:—
- 1. (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (Ninth Amendment) Regulations, 2010.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Note 1 of Schedule I to the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation, 2001 (2 of 2001), for the words and brackets "Networks (including Fixed, Mobile and Converged Networks, Regulatory Enforcement and Quality of Service)", the words "Fixed, Mobile and Converged Networks" shall be substituted."

M. S. SEETHARAMAN, Adviser (A&P)

[No. ADVT. III/4/142/10-Exty.]

Note 1: The principal regulations were published vide No. 5-4/2000 (A&L), dated 15th February, 2001 and amended vide—

- (i) I-6/2002-A&L, dated 22nd January, 2004
- (ii) 5-4/2000-A&L (Vol.1), dated 11th May,2004
- (iii) 5-4/2000-A&L (Vol.II), dated 17th June, 2004
- (iv) 5-4/2000-A&P (Vol.II), dated 10th May, 2005
- (v) 5-4/2000-A&P (Vol.II), dated 26th May, 2006
- (vi) 5-4/2000-A&P (Vol.II), dated 09th October, 2006
- (vii) 5-4/2000-A&P, dated 31st December, 2008
- (viii) 5-2/2005-A&P, dated 20th March, 2009.